

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26 अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी-6/नियमन/वर्गीकरण/249

भोपाल दिनांक 09 फरवरी 2016

:: आदेश ::

म0प्र0 कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 वर्ष 1973) की धारा 25-क की उपधारा (1) एवं सहपठित म0प्र0कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति वर्गीकरण) नियम, 1981 के नियम (3) के अधीन विहित मानकों के आधार पर नियम (2) के खण्ड (ख), (ग) एवं (घ) के अनुसार प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों को उनकी विगत 3 वित्तीय वर्षों 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 "माह अप्रैल से मार्च तक" की औसत आय (मण्डी फीस @1% + अनुज्ञप्ति (लायसेंस) फीस = वास्तविक आय) के आधार पर मण्डी अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिये निम्नानुसार प्रवर्ग में वर्गीकृत किया जाता है :-

प्रथम अर्थात् "क" प्रवर्ग की कृषि उपज मण्डी समितियों

क्रमांक	मण्डी का नाम
1	इंदौर
2	उज्जैन
3	मंदसौर
4	देवास
5	नीमच
6	कटनी
7	डबरा
8	पिपरिया
9	अशोकनगर
10	गुना
11	सतना
12	जावरा
13	रतलाम
14	बदनावर
15	गंजबासोदा
16	आष्टा
17	धार
18	जबलपुर
19	बड़नगर
20	विदिशा

क्रमांक	मण्डी का नाम
21	हरदा
22	इटारसी
23	सागर
24	शुजालपुर
25	खरगोन
26	खंडवा
27	छिंदवाड़ा
28	सिहोरा
29	आगर
30	बानापुरा
31	खातेगांव
32	सीहोर
33	टिमरनी
34	बैतूल
35	बरेली
36	दमोह
37	टीकमगढ़
38	भोपाल
39	सेंधवा

द्वितीय अर्थात "ख" प्रवर्ग की कृषि उपज मण्डी समितियाँ

क्रमांक	मण्डी का नाम
1	बुरहानपुर
2	नसरुल्लागंज
3	निवाड़ी
4	सिरोज
5	गाडरवाड़ा
6	पचौर
7	खिरकिया
8	बैरसिया
9	महिदपुर
10	करेली
11	शयोपुरकलौ.
12	सनावद
13	तराना
14	सिवनी
15	औबेदुल्लागंज
16	होशंगाबाद
17	बीना
18	हरपालपुर
19	दतिया

क्रमांक	मण्डी का नाम
20	लशकर
21	ब्यावरा
22	सांवेर
23	नागोद
24	कोलारस
25	मुंगावली
26	शाजापुर
27	नरसिंहगढ़
28	नरसिंहपुर
29	रायसेन
30	महू
31	शाहपुरा भिटोनी
32	कुरावर
33	खुरई
34	पिपल्या
35	भीकनगांव
36	गोटेगांव
37	कुम्भराज

तृतीय अर्थात "ग" प्रवर्ग की कृषि उपज मण्डी समितियाँ

क्रमांक	मण्डी का नाम
1	बकतरा
2	राजगढ़
3	कुक्षी
4	चौरई
5	सोनकच्छ
6	मनावर
7	आरोन
8	बड़ामल्हेरा
9	हरसूद
10	राजनगर

क्रमांक	मण्डी का नाम
31	बनखेड़ी
32	शिवपुरी
33	बरघाट
34	कन्नोद
35	खरगापुर
36	जतारा
37	खाचरोद
38	अंजड़
39	मंडला
40	सेवड़ा




क्रमांक	मण्डी का नाम
11	देवरी
12	बालाघाट
13	पथरिया
14	सेमरीहरचंद
15	छतरपुर
16	धामनोद
17	उदयपुरा
18	मुरैना
19	रीवा
20	सैलाना
21	मनासा
22	बदरवास
23	चाकघाट
24	केवलारी
25	करेरा
26	सौंसर
27	भीतरवार
28	बेगमगंज
29	कालापीपल
30	पेटलावद

क्रमांक	मण्डी का नाम
41	गौतमपुरा
42	खेतिया
43	सीधी
44	मकसूदनगढ़
45	वारासिवनी
46	जबेरा
47	श्यापुरबड़ोद
48	लोहार्दा
49	शमशाबाद
50	बीनागंज
51	पंधाना
52	उमरिया
53	नलखेड़ा
54	बण्डा
55	नागदा
56	बड़वाह
57	रेहटी
58	गढ़ाकोटा
59	लटेरी
60	पिछोर


चतुर्थ अर्थात "घ" प्रवर्ग की कृषि उपज मण्डी समितियों

क्रमांक	मण्डी का नाम
1	श्यामपुर
2	सारंगपुर
3	बैकुण्ठपुर
4	रेहली
5	गोहद
6	खनियाधाना
7	ताल
8	तेंदुखेड़ा
9	अकोदिया
10	करही
11	राहतगढ़

क्रमांक	मण्डी का नाम
62	जैसीनगर
63	देवेन्द्रनगर
64	परसवाड़ा
65	बामोरा
66	आलमपुर
67	विजयपुर
68	डिंडोरी
69	अम्बाह
70	लखनादौन
71	मैहर
72	गंधवानी



क्रमांक	मण्डी का नाम	क्रमांक	मण्डी का नाम
12	पन्ना	73	सीतामऊ
13	खुजनेर	74	बड़वानी
14	उन्हेल	75	छापीहेड़ा
15	पांडुर्ना	76	केसली
16	गैरतगंज	77	मेंहगांव
17	बिछिया	78	खैरलांजी
18	शाहगढ़	79	मोहगांव
19	हनुमना	80	मक्सी
20	आलोट	81	राघोगढ़
21	लालबर्सा	82	जोरा
22	जीरापुर	83	रामनगर
23	हाटपिपल्या	84	माचलपुर
24	भाण्डेर	85	शहपुरा निवास
25	गोरखपुर	86	खतौरा
26	ब्योहारी	87	गरोट
27	थांदला	88	रन्नोद
28	नैनपुर	89	बुढ़ार
29	कुरवाई	90	बागली
30	कैलारस	91	जावद
31	खिलचीपुर	92	सेगांव
32	झाबुआ	93	अनूपपुर
33	मगरोनी	94	पिपरई
34	कटंगी	95	बेरछा
35	सिंगरोली	96	सिमरिया
36	अमरवाड़ा	97	बलवाड़ी
37	जोबट	98	गुलाबगंज
38	बिजावर	99	बकस्वाहा
39	लवकुशनगर "लौड़ी"	100	सुवासरा
40	मुलताई	101	माँ
41	सबलगढ़	102	पवई
42	ईसागढ़	103	भैंसदही
43	घंसौर	104	सुठालिया
44	इछावर	105	शाडोरा
45	हटा	106	सोयतकलॉ
46	भिण्ड	107	कोतमा



47	शामगढ़
48	अलिराजपुर
49	बेराड
50	जावर
51	पोरसा
52	छपारा
53	कसरावद
54	शहडोल
55	बड़ोद
56	पोहरी
57	मोमनबड़ोदिया
58	लहार
59	अजयगढ़
60	सुसनेर
61	अमरपाटन

108	भानपुरा
109	बानमोरकलॉ
110	जैतहरी
111	सिराली
112	दलोदा
113	पलेरा
114	सिलवानी
115	पाटन
116	बाबई
117	पलारी
118	मालथोन
119	चंदेरी
120	पृथ्वीपुर
121	नौगांव

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

“परन्तु पूर्व में वर्गीकृत कोई भी मण्डी समिति इस नियम के संशोधन के प्रारम्भ होने के परिणाम स्वरूप चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 (31 मार्च 2016) के लिये निम्नतर वर्ग में वर्गीकृत नहीं की जायेगी।”

(अरुण पाण्डेय)

प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- (01) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
- (02) कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- (03) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
- (04) अपर संचालक (समस्त)/मुख्य अभियंता/संयुक्त संचालक (समस्त)/अधीक्षण यंत्री (समस्त)/उप संचालक (समस्त)/चीफ प्रोग्रामर मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
- (05) संयुक्त संचालक/उप संचालक (समस्त) आंचलिक कार्यालय, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल/इंदौर/उज्जैन/ग्वालियर/सागर/जबलपुर/रीवा (म०प्र०)।
- (06) सचिव (समस्त), कृषि उपज मण्डी समिति ..... जिला ..... (म०प्र०)।

प्रबंध संचालक  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल